

प्रेषक,

जय प्रकाश तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
30प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-12

लखनऊ: दिनांक: 17 अप्रैल, 2018

विषय: - वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में प्रावधानित धनराशि (मतदेय/भारित) के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-361/15सी0-90/2017-18, दिनांक 09-04-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-52 के लेखाशीर्षक-2075-विविध सामान्य सेवायें-800-अन्य व्यय-07-उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन प्रतिकर-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत रूपया 1-00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अधीन निम्नानुसार व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की माननीय राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त धनराशि जिस प्रयोजन के लिये दी जा रही है, उसी मद में व्यय की जायेगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में व्यय कर ली जायेगी।
- (3) उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(जय प्रकाश तिवारी)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 1/2018/161(1)/एक-12-2018-तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- राजस्व अनुभाग-6/ गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।